न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :- 02/2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/2

उनवानी प्रकरण :-

दुष्यन्त सिंह पुत्र माधवेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम नीमखेडा तहसील बाडी जिला धौलपुर, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नीमखेडा प्राधिकार पत्र संख्या 36/2012 पोश मशीन संख्या 9723

------ अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी धौलपुर

---------- रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2022 द्वारा
जिला रसद अधि0धौलपुर

उपस्थिति :-

अपीलान्ट की ओर से :- श्री अमित कुमार वधेला एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :- सहायक लोक अभियोजक प्रथम

निर्णय दिनांक 11.03.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.11.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत नीमखेडा पंचायत समिति बाडी का उचित मूल्य दुकानदार है एवं उसका प्राधिकार पत्र संख्या 36/2012 है उसका यह प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 के जरिये निरस्त किया गया है जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट ने यह अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की है कि अपीलान्ट की तवियत खराब हो गयी थी एवं दिनांक 01.09.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक बाडी समीक्षा दिनकर द्वारा जब अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच की गई थी उस समय अपीलान्ट गभींर रूप से बीमार था इसलिये इलाज हेतु धौलपुर से बाहर चला गया था। ऐसी स्थिति में वक्त जांच अपीलान्ट मौके पर उपस्थित नहीं था। जांच से कुछ दिन पूर्व ही अपीलान्ट ने अपनी दुकान का रंग रोगन करवाया था इसलिये दीवाल पर लगी सूचना पटिटका आदि को अन्दर रख दिया था इसलिये वक्त जांच सूचना पटिटका आदि दुकान पर लगे नहीं पाये गये जिनको कि तत्पश्चात दुकान पर लगा दिया गया था। वक्त जांच पॉश मशीन को देखे जाने पर उसमें कुल 840.140 क्वि. गेहूं होना पाया गया था जो गेहूं अपीलान्ट

द्वारा गोदाम में सुरक्षित रखा गया था और चूंकि वक्त जांच अपीलान्ट बीमार होने के कारण धौलपुर से बाहर था ऐसी स्थिति में गोदाम में रखे गेहूं का कोई भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था। प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा मन मर्जी मुताविक भौतिक सत्यापन में गेहूं का शून्य पाया जाना अपनी जांच रिपोर्ट में गलत रूप से अंकित किया गया है जबकि अपीलान्ट के पिता ने अपीलान्ट के बीमार होने व पॉश मशीन में अंकित गेहूं का गोदाम में रखा जाना बताया गया था। अपीलान्ट के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को दिनांक 09.09.2022 को निलम्बित किये जाने सम्बधी आदेश की कोई भी जानकारी व सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी एवं इसी प्रकार से नोटिस तारीखी 09.09.2022 जो अपीलान्ट को दिया जाना अंकित किया गया वह भी अपीलान्ट को आज तक कभी प्राप्त नहीं हुआ एवं निर्णय दिनांक 30.11.2022 की भी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं रही एवं निर्णय पारित किये जाने से पूर्व कभी अपीलान्ट को सुना नहीं गया एवं ना ही उसे अपना पक्ष रखने का कोई अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार से राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों की कतई पालना नहीं की गई और ऐसे आवश्यक प्रावधानों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अन्तर्गत अपील पारित करने में अहम तथ्यात्मक एवं कानूनी भूल की है। इसी विनाय पर आदेश अन्तर्गत अपील अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 30.11.2022 निरस्त किये जाने एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जांच रिर्पोट में अकित आरोपों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। अपीलान्ट पर जो आरोप लगाये गये है वह निराधार है। वक्त जांच पॉश मशीन में कुल 840.140 क्वि. गेहूं होना पाया गया था जो गेहूं अपीलान्ट द्वारा गोदाम में सुरक्षित रखा गया था और चूंकि वक्त जांच अपीलान्ट बीमार होने के कारण धौलपुर से बाहर था ऐसी स्थिति में गोदाम में रखे गेहूं का कोई भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया था। प्रर्वतन निरीक्षक द्वारा मन मर्जी मुताविक भौतिक सत्यापन में गेहूं का शून्य पाया जाना अपनी जांच रिपोर्ट में गलत रूप से अंकित किया गया है। दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने यह जाहिर किया कि उक्त गेहूं आज भी अपीलान्ट के पास मौजूद है। अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का और अपना पक्ष रखने का कोई अवसर अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं दिया। आक्षेपित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से व प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

जिला कलक्टर
धौलपुर

रेस्पोडेण्ट एवं उनकी ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक समीक्षा दिनकर द्वारा दिनांक 01.09.2022 को मौके पर जाकर की गई। मौके पर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2022 को नोटिस जारी किया गया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त नोटिस का जबाव पेश नहीं किया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण सुनवाई का अवसर एवं साक्ष्य पेश करने का मौका दिया गया है। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पूर्व में श्री जगदीश प्रसाद नीमखेडा से अटैचमेंट लगाये जाने पर एवं प्रस्तुत चार्ज हस्तांतरण रिपोर्ट के मुताबिक उसे 842.15 क्वि. गेहूं का हस्तांतरण आज तक नहीं किया जाना गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधन करने एवं गम्भीर अनियमितता करने के कारण अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्व पेश की है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक बाडी समीक्षा दिनकर द्वारा दिनांक 01.09.2022 को मौके पर जाकर की गई। जॉच में अपीलान्ट राशन डीलर द्वारा राशन वितरण में मुख्य आरोप है कि मौके पर पोस मशीन देखे जाने पर माह सितम्बर 2022 में एन.एफ.एस.ए. तथा माह अगस्त 2022 में पी.एम.जी.के.ए.वाई की गेहूं आवक सहित कुल 840.140 क्वि. गेहूं होना पाया गया जबकि अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन में गेहूं शून्य पाया गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा 840.104 क्वि. गेहूं की गम्भीर अनियमिततायें कर प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधंन करना पाये जाने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा आदेश दिनांक 09.09.2022 के जरिये निलम्बित किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अनियमितताऐं करने पर उसे अपना जबाव प्रस्तुत करने हेतु नोटिस कमांक 5246 दिनांक 09.09.2022 जारी किया गया जिसका जबाव अपीलान्ट द्वारा आदिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही इस सम्बध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की। इस प्रकार अपीलान्ट का यह कथन सावित नहीं है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की राशन वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पूर्व में श्री जगदीश प्रसाद नीमखेडा से अटैचमेंट लगाये जाने पर एवं प्रस्तुत चार्ज हस्तांतरण रिपोर्ट के मुताबिक उसे 842.15 क्वि. गेहूं का हस्तांतरण नहीं किया जाना गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस रिकवरी के गेहूं 840.140 क्वि. अपीलान्ट के पास होना बताया जिसके भौतिक सत्यपन हेतु प्रवर्तन निरीक्षक समीक्षा दिनकर को निर्देशित

किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी रिर्पोट दिनांक 04.03.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलान्ट के दूरभाष संख्या 9610468805 पर अपीलान्ट दुष्यंत सिंह द्वारा स्वंय के इलाज हेतु जयपुर जाने की बात कही गई रिकवरी के शेष गेहूं 840.140 क्वि. के बावत पूछे जाने पर उनके द्वारा स्वंय के पास कोई गेहूं नहीं होना बताया गया। उक्त प्रकरण में यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक 5738 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक बाडी समीक्षा दिनकर को अपीलान्ट के विरूद्व एफ. आई.आर. दर्ज कराये जाने के आदेश भी दिये गये है। अपीलान्ट ने अपने कथनो के समर्थन में ऐसी कोई दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे उसके कथनों की पुष्ठि होती हो। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में गम्भीर अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्रधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लधंन मानते हुये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.11.2022 यथवत रखा जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जिला कलक्टर
धौलपुर